



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1258]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2014/ज्येष्ठ 23, 1936

No. 1258]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2014/JYAISTHA 23, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2014

का.आ. 1515(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूप स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमशः नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
288	713	अरुणाचल प्रदेश राज्य में जोराम के निकट रारा-13 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर पालिन, संग्राम को जोड़ने वाला और कोलोरियंग पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
289	513	अरुणाचल प्रदेश राज्य में पासीघाट के निकट रारा-13 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मरियांग को जोड़ने वाला और यिंगकोइंग पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
290	313	अरुणाचल प्रदेश राज्य में मीका के निकट रारा-13 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर अनीनी के निकट समाप्त होने वाला राजमार्ग।

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
291	113	अरुणाचल प्रदेश राज्य में हवाकैंप के निकट रारा-13 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर हुलियांग को जोड़ने वाला और हवाई पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
292	713ए	अरुणाचल प्रदेश राज्य में होज के निकट रारा-13 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर यूपिया को जोड़ने वाला और पप्पू निकट (नाहुरलागुन के निकट) रारा-415 के जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा. सं. एनएच-14012/15/2013-पीएंडएम (पार्ट-5)]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 1089(अ) तारीख 26 फरवरी, 2014 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2014

S.O. 1515(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The Highways, now declared to be National Highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new National Highways numbers and the description of the National Highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively of the Table.

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
288	713	The Highway starting from its junction with NH-13 near Joram connecting Palin, Sangram and terminating at Koloriang in the State of Arunachal Pradesh.
289	513	The Highway starting from its junction with NH-13 near Passighat connecting Mariyang and terminating at Yingkiong in the State of Arunachal Pradesh.
290	313	The Highway starting from its junction with NH-13 near Meka and terminating near Anini in the State of Arunachal Pradesh.
291	113	The Highway starting from its junction with NH-13 near Hawacamp connecting Hayuliang and terminating near Hawaii in the State of Arunachal Pradesh.
292	713A	The Highway starting from its junction with NH-13 near Hoj connecting Yupia and terminating at its junction with NH-415 near Pappu (near Nahurlagun) in the State of Arunachal Pradesh.

[F. No. NH-14012/15/2013-P&M (Pt-5)]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 1089(E), dated 26th February, 2014.